मुख्यमंत्री सचिवालय

प्रेस विज्ञप्ति

रांची, दिनांक: 25/03/2021

मुख्यमंत्री सचिवालय रांची
विज्ञप्ति संख्या -179/2021
25 मार्च 2021
झारखंड मंत्रालय, रांची
==========

▪ मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने श्री शशिभूषण वर्मा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी अंचल अधिकारी सरिया सम्प्रति अंचल अधिकारी, डुमरी एवं श्रीमती सुनीता कुमारी, अंचल अधिकारी, सरिया को निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने के प्रस्ताव पर दी स्वीकृति।

==========

▪ उपरोक्त दोनों अधिकारी श्री शशिभूषण वर्मा एवं श्रीमती सुनीता कुमारी पर सरकारी भूमि का अवैध रूप से नामांतरण करने का है आरोप।

==========

श्री शशिभूषण वर्मा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी अंचल अधिकारी, सरिया सम्प्रति अंचल अधिकारी, डुमरी एवं श्रीमती सुनीता कुमारी, अंचल अधिकारी, सरिया के विरुद्ध आरोप पर इन्हें निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अपनी सहमति दी है।

श्री शशिभूषण वर्मा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सरिया द्वारा सरिया मौजा के बड़की सरिया के विभिन्न गैरमजरूआ खाता/प्लॉट/रकबा को विभिन्न रैयतों को विभिन्न तिथियों में ऑनलाइन कर सरकारी भूमि का अवैध रूप से नामांतरण करने का आरोप है।

श्रीमती सुनीता कुमारी, अंचल अधिकारी, सरिया द्वारा सरिया मौजा के बड़की सरिया गैरमजरूआ खाता संख्या-200 में प्लॉट संख्या-1839, रकबा 01 एकड़ 60 डी० रैयत भरथ कोयरी के नाम दिनांक 6 जून 2018, प्लॉट संख्या-4017, रकबा 15.5 डी० रैयत दुलारी देवी के नाम दिनांक 5 जनवरी 2020, प्लॉट संख्या-4771, रकबा 2.6 डी० रैयत महेश कुमार मोदी के नाम दिनांक 23 अगस्त 2019 को ऑनलाइन कर सरकारी भूमि का अवैध रूप से नामांतरण करने का आरोप है।

उपरोक्त पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप गंभीर प्रकृति का है। अनुमंडल पदाधिकारी बगोदर/सरिया, गिरिडीह ने जांचोपरांत आरोप को सही पाया है। अतः उपायुक्त, गिरिडीह के पत्र के आलोक में श्री शशिभूषण वर्मा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी अंचल अधिकारी, सरिया सम्प्रति अंचल अधिकारी, डुमरी एवं श्रीमती सुनीता कुमारी, अंचल अधिकारी, सरिया को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने सहमति दी है।

==========

TeamPRD(CMO)